न्यायालय बईजलास मोनिका बलारा सहायक कलेक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :– 21/2015

रियाज मोहम्मद खॉ पिता गफूर खॉ जाति मुसलमान निवासी बिछोर तह0 बेगूँ ... वादी

बनाम

1. ताज मोहम्मद खॉ पिता गफूर खॉ जाति मुसलमान नि0बिछोर मृतक के विधिक उत्तराधिकारी ::
   - 1/1 आजाद खॉ पिता ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बिछोर
   - 1/2 आबाद खां पिता ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बिछोर
   - 1/3 शहजाद खां पिता ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बिछोर
   - 1/4 नौशाद खां पिता ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बिछोर
   - 1/5 शमीम बीबी पिता पिता ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बिछोर तहसील बेगूँ हाल मुकाम पति मुन्ना खां पठान नि0 नीमच म0प्र0
   - 1/6 नसीम बीबी पिता ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बिछोर तहसील बेगूँ हाल मुकाम पति रियाज खां पठान, पठानों का मौहल्ला बेगूँ
2. मुबारिक खां पिता गफूर खां जाति मुसलमान निवासी बिछोर तहसील बेगूँ मृतक के विधिक उत्तराधिकारी निम्न हैं :–
   - 2/1 जब्बार खां पिता मुबारिक खां जाति मुसलमान (पठान) निवासी बिछोर तहसील बेगूँ हाल मुकाम परबड़ा, हिम्मतनगर साबरकाठां जिला साबरकलां गुजरात
   - 2/2 मदीना बीबी पिता मुबारिक खां जाति मुसलमान (पठान) निवासी बिछारे तहसील बेगूँ हाल मुकाम पति अफजल खां पठान निवासी देवलजी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
   - 2/3 कमरून बीबी पिता मुबारिक खां जाति मुसलमान (पठान) निवासी बिछोर तहसील बेगूँ हाल मुकाम पति शरीफ खां पठान निवासी शाकरिया तहसील जिला झालावाड़
3. श्रीमान् भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ तहसील बेगूँ
4. श्रीमान् राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

... प्रतिवादीगण

उपस्थित::– श्री सी.पी.शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री वी.पी.शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः– 10.4.2017

निर्णय दावा अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. शर्मा द्वारा वाद पत्र अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि आराजीयात ग्राम बिछोर प0ह0 बिछोर में निम्न प्रकार से स्थित है:–

खाता संख्या	आराजीसंख्या	रकबा क्षैत्रफल
139	1524	0.30 है0
	1526	0.41 है0
	कीता– 2	0.71 हैक्टर

वर्णित आराजी के आराजी संख्या 1526 का खेत हिस्सा वादी के हिस्से में व शेष पर प्रतिवादीगण है । आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, वाद पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात में वादी का 3/5 हिस्स एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के विधिक उत्तराधिकारियों का 2/5 हिस्सा निहित है । यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का भूमि पर आपसी रजमांदी से मौके पर तो अलग अलग कब्जा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में वर्णित आराजीयात संयुक्त होने से भूमि पर ऋण लेने व विकास करने में दिक्कत आती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण के विधिक उत्तराधिकारियों को दिनांक 5.1.2015 को तहसील में चलकर विभाजन कराने की कहा तो उन्होने सहमतिनहीं दी जिसके कारण वादी को यह वाद पत्र लाना पडा है ।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि :–

1– कि मौजा बिछोर प0ह0 बिछोर की उक्त वाद पत्र की कलम संख्या एक में खाता संख्या 139 में अंकित आराजी संख्या 1524 रकबा 0.30 हैक्टर , आराजी संख्या 1526 रकबा 0.41 हैक्टर वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउंडस एवं कब्जे के आधार पर वादी का 3/5 हिस्सा भूमि का विभाजन किए जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

2– कि वाद प त्र की कलम संख्या एक में वर्णित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में भी पृथक रूप से खाता वादी के नाम पर दर्ज कराये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें ।

3– यह कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो धारा 209 के अन्तर्गत वो भी प्रदान कराया जावें ।

वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री वी.पी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तत करते हुए वाद पत्र का जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय आप से प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वादी का वाद पत्र को स्वीकार किया जावे लेकिन साथ ही हम प्रतिवादीगण का 1/5 हिस्सा रकबा 0.142 हैक्टर भूमि का विभाजन कर हमारे खाते में अलग दर्ज की जावे एवं भूमि हमारे मृतक पिता के नाम से हटाकर हम प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश एवं घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावें । पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से ईकबाली जवाब व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किए जाने पर पत्रावली में तनकी कायम नहीं कर साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी रियाज मोहम्मद के लिए गए जिन्होने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श भी कराया । पत्रावली में वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष निवेदन करने पर राष्ट्रीय लोक अदालत में रखाया जाकर दोनो पक्षो को सुना गया तथा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2016 को वादी का वाद पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश दिया गया ।

"अतः वाद वादी का अ0धा0 53 आर0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाता है मौजा बिछोर की आराजी संख्या 1524 रकबा 0.30 हैक्टर आराजी संख्या 1526 रकबा 0.41 हैक्टर कीता कुल रकबा 0.71 हैक्टर भूमि में वादी रियाज मोहम्मद खॉ का हिस्सा 3/5 एवं शेष हिस्सा मुताबिक जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं01 व के वारिसान के नाम रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जात है। दावा वादी का प्राथमिक डिक्री किया जाता है।प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाकर आराजी का विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ तलब किया जावें। "

मामले में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की प्रति जरिये पत्र कमांक /सरिश्ता/2016/817 दिनांक 12.11.2016 से तहसीलदार बेगूँ को भिजवाते हुए प्रकरण मे फर्द बंटवारा रिपोर्ट तलब की गई, जिसकी पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बिछोर द्वारा तहसीलदार बेगूँ को अपनी रिपोर्ट के साथ फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ प्रस्तुत की गई, जो तहसीलदार बेगूँ द्वारा जरिये पत्र कमांक 425 दिनांक 5.4.2017 से न्यायालय को भिजवाई गई । पत्रावली में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया । जिन्होने प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट मुताबिक प्राथमिक डिक्री अनुसार होने से वाद पत्र को अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया गया । फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 53 आर0टी0एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बिछोर प0ह0 बिछोर की आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन करते हुए आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में पृथक रूप से दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

1– श्री रियाज मोहम्मद पिता गफुर खॉ मुसलमान सा0 बिछोर के खाते :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में	लगान
1526	0.4100	11.44
1524 मे से	0.0160	0.18
योगः– 2	0.4260हैक्टर	11.62

2– आजाद खॉ, आबाद खॉ,नौशाद खॉ,शमीम बी ,नसीम बी,पिता ताज मोहम्मद हि0 1/2, जब्बर खॉ मीदना बी,कमरू बी पिता मुबारिक खॉ हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा.बिछोर के खाते :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में	लगान
1524 मे से	0.2840	3.17
योगः– 1	0.2840 हैक्टर	3.17

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 10.4.2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(मोनिक बलारा)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)